क्र.सं. 44
विकास आयुक्त का कार्यालय
(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार)
निर्माण भवन, सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली-110 108

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES)
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF INDIA
Nirman Bhawan, 7th Floor, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110 108

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

Ph.EPABX - 23063800, 23063802 23063803 FAX - (91-11) 23062315, 23061726, 23061068, e-mail - dcmsmehq@nb.nic.in

No. 5(2)2014-MSME POL　　　D-347 4/7/14　　　Dated 23.06.2014

विषयः- <u>एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 की धारा 27 के अंतर्गत दंडित किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन भिजवाने हेतु।</u>

उपरोक्त विषय पर अपने कार्यालय के पत्र संख्या एफ़.15(1)आयु.उ./ईएम.अनु./ईएम-मार्गदर्शन/2013 दिनांक 02.05.2014 का संदर्भ लें।

2. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 की धारा 27(1), अधिनियम की धारा 8(1) और 26(2) के उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान से संबंधित है। अधिनियम की धारा 8(1) उद्‌यमी द्‌वारा उद्‌यमी ज्ञापन (Entrepreneurs' Memorandum) फ़ाइल करने के संबंध में है। उद्‌यमी ज्ञापन का प्रारूप तथा इसे भरने संबंधी दिशा निर्देश अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत अधिसूचित हैं। उद्‌यमी ज्ञापन (Entrepreneurs' Memorandum) की अनुसूची II की क्रम संख्या 10 तथा 11 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन किए जाने की दशा में क्रम संख्या 13 के अनुसार उद्‌यमी ज्ञापन को निरस्त किया जाना आपेक्षित है।

3. उद्‌यमी ज्ञापन (Entrepreneurs' Memorandum) की अनुसूची II की क्रम संख्या 13 के अनुसार जाँच के बाद तथ्यों के गलत पाये जाने पर उद्‌यम को जारी अभिस्वीकृति सूचना को निरस्त (Cancel) किया जा सकता है। निरस्तीकरण प्रक्रिया संबंधी निर्णय उद्‌योग विभाग / निदेशालय द्‌वारा आपेक्षित है।

3. अधिनियम की धारा 22 उद्‌यम द्‌वारा अपने लेखा विवरण (Accounts) में सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यमों की देय राशि तथा ब्याज को अलग अलग दर्शाने से संबंधित है। अतः सूक्ष्म एवं लघु उद्‌यम सुविधा परिषद की कार्यप्रणाली की अवहेलना करने पर अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत उद्‌यमों को दंडित नहीं किया जा सकता है।

आर० के० चौधरी

(आर. के. चौधरी)
उप निदेशक (नीति)

संयुक्त निदेशक, उद्‌योग,
कार्यालय आयुक्त उद्‌योग,
उद्‌योग भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर - 302005

विभाग का पत्र दिनांक 2-5-2014 पृष्ठ भाग पर अंकित है।
KTO

149

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

स्मरण-पत्र

क्रमांक–एफ.15(1)आयु.उ./ईएम.अनु./ईएम–मार्गदर्शन/2013 दिनांकः 2/5/2014

श्री पी.के. सिन्हा,
निदेशक (एमएसएमई नीति),
कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई),
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
(भारत सरकार), निर्माण भवन,
सातवीं मंजिल, मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली–110108

विषयः एमएसएमईडी एक्ट, 2006 की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन भिजवाने बाबत्।

महोदय,

P.147/C

उपर्युक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 21.2.2014 का अवलोकन करें। वांछित मार्गदर्शन अपेक्षित है। कृपया निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन भिजवाने का कष्ट करें:

1. आपके पत्र क्रमांक–5(2)/2013–एमएसएमई–नीति दिनांक 18.06.2013 के साथ उद्यमियता ज्ञापन प्रथम व द्वितीय के प्रारुप प्राप्त हुए हैं। उद्यमी ज्ञापन और उनसे प्रासंगिक अन्य विषयों को भरे जाने की प्रक्रिया की अनुसूची दो के बिन्दु संख्या–10, 11 एवं 13 का उद्यमी द्वारा उल्लंघन किये जाने की दशा में क्या अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत उद्यमी को दण्डित किया जा सकता है?
2. एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अन्तर्गत जारी अभिस्वीकृति को निरस्त किये जाने की क्या प्रक्रिया है, का उल्लेख अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं किया गया है। कृपया उद्यमी ज्ञापन–द्वितीय की अभिस्वीकृति को निरस्त किये जाने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनायी जानी है, की विस्तृत जानकारी भिजवाने का श्रम करें।
3. राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की कार्य प्रणाली की अवहेलना करने पर क्या अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत क्रेता और विक्रेता को सुविधा परिषद द्वारा दण्डित किया जा सकता है?

भवदीय,

(अविन्द्र लढढा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग

क्रमांक–एफ.15(1)आयु.उ./ईएम.अनु./ईएम–मार्गदर्शन/2013 दिनांकः 2/5/2014

प्रतिलिपि : रक्षित पत्रावली (ई.एम.)।

संयुक्त निदेशक, उद्योग

C:\DOC\New Folder\E.M..doc

207

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त उद्योग

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ई.एम अनु./ई.एम.–मार्गदर्शन/2013 दिनांक : 28-7-2014

1. महाप्रबन्धक,
   जिला उद्योग केन्द्र,
   समस्त।
2. सहायक निदेशक उद्योग/
   जिला उद्योग अधिकारी,
   जिला उद्योग उप केन्द्र,
   समस्त।

विषयः **एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 27 के अंतर्गत दंडित किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन भिजवाने हेतु।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उप निदेशक (नीति), कार्यालय विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–5(2)2014–MSME POL दिनांक 23.06.2014 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अविन्द्र लढढा)
संयुक्त निदेशक, उद्योग

क्रमांक : एफ 15(1)आयु.उ./ई.एम अनु./ई.एम.–मार्गदर्शन/2013 दिनांक : 28-7-2014

प्रतिलिपिः

1. कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग के समस्त अधिकारीगण को सूचनार्थ।
2. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक, उद्योग